

रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटीज, एवं चिट्स, उ0प्र0 लखनऊ

जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवाओं हेतु कार्य दिवस का विवरण

| क्रम.सं0 | विभाग का नाम | सेवाये | पदाहित अधिकारी | सेवाओं के लिए नियत समय सीमा | प्रथम अपीलीय अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय सीमा | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय सीमा |
|----------|--|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|--|
| 1. | वित्त विभाग (निबंधक फर्मस सोसाइटीज और चिट्स) | रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबंधक/उप-निबंधक | 30 कार्य दिवस | उप-निबंधक (मुख्यालय) | 30 कार्य दिवस | निबंधक | 15 कार्य दिवस |
| | | नवीनीकरण | सहायक निबंधक/ उप-निबंधक | 60 कार्यदिवस | उप-निबंधक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबंधक | 15 कार्य दिवस |
| | | सोसाइटी प्रतिलिपि | सहायक निबंधक/उप-निबंधक | 1 सप्ताह | उप-निबंधक (मुख्यालय) | अत्यधिकता हेतु 1 दिन | निबंधक | अत्यधिकता हेतु 1 दिन, अर्द्धअत्यधिकता हेतु 3 दिन, सामान्य के लिये छः दिन |
| | | फर्म रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबंधक/उप-निबंधक | 30 कार्य दिवस | उप-निबंधक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबंधक | 15 कार्य दिवस |
| | | फर्म प्रतिलिपि | सहायक निबंधक/उप-निबंधक | सामान्य हेतु सात दिन | उप-निबंधक (मुख्यालय) | सामान्य हेतु छः दिन | निबंधक | सामान्य हेतु छः दिन |
| | | चिट्स रजिस्ट्रीकरण एवं चिट ग्रुप रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबंधक/उप-निबंधक | 30 कार्य दिवस | उप-निबंधक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबंधक | 15 कार्य दिवस |

जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी का विवरण

| क्र0 | कार्यालय का पता | अधिकारी का नाम , पदनाम | जन सूचना अधिकारी | दूरभाष न0 | मो0 नम्बर |
|------|--|---|---|------------------|------------|
| 1 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज, एवं चिट्स, तृतीय तल विकास दीप 22 स्टेशन रोड लखनऊ | श्री आनन्द कुमार सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, लखनऊ मण्डल | 0522- 2635209 | 9369454770 |
| 2 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स , 127/90 एस- ब्लाक , शक्ति नगर ,जूही, कानपुर | श्री पारस नाथ गुप्ता, डिप्टीरजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी ,कानपुर मण्डल | 0512- 2643486 | 9452788989 |
| 3 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स 12A,339 आवास विकास योजना सिकंदरा आगरा | श्री बिपुल कुमार सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी ,आगरा मण्डल | 0562- 2601010 | 8429948596 |
| 4 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स ,146-रीडगंज अयोध्या | श्री लक्ष्मी कान्त | जन सूचना अधिकारी, अयोध्या मण्डल | 05278- 243860 | 7007576590 |
| 5 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज, एवं चिट्स, बी-2, सोमदत्त सिटी(के.एल. इंटरनेशनल स्कूल के पीछे) गढ़ रोड मेरठ | श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी ,मेरठ मण्डल | 0121- 2647255 | 9068620238 |
| 6 | कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, प्लाट खसरा नं0-119, गुलधर, राजनगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद | श्री ऋषभ कुमार अग्रवाल, डिप्टी रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, गाजियाबाद मण्डल | 80816287 96 | 8081628796 |
| 7 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, 10/187 ए हुकुल गंज चौका घाट वाराणसी | श्री मंगलेश सिंह पालीवाल, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी , वाराणसी मण्डल | 0542- 2587847 | 8765257910 |
| 8 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, हजारी बाग मऊ रोड सिधारी आजमगढ | श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी ,आजमगढ मण्डल | 05462- 268470 | 9554242222 |
| 9 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, बेतिया का हाता, गोरखपुर | श्री भूपेंद्र कुमार सिंह, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, गोरखपुर मण्डल | 0551- 2985874 | 9452362811 |
| 10 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, 193-A सिविल लाइन्स, बरेली | श्री नीरज उर्फ यादवेन्द्र पाठक , सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, बरेली मण्डल | 0581- 2420107 | 8004799370 |
| 11 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, हाजी इकबाल मंजिल मोहम्द अली रोड मुरादाबाद | श्री आनन्द विक्रम सिंह, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, मुरादाबाद मण्डल | 0591- 2319076 | 9415450210 |
| 12 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स,अपोजिट डिस्ट्रिक्ट को आपरेटिव बैंक, रेलवे रोड सहारनपुर | श्री शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, सहानपुर मण्डल | 0132 2730758 | 7398511866 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 13 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स, A-201 मेहदौरी कॉलोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज | श्री मनोज कुमार, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, प्रयागराज मण्डल | 0532-2507024 | 9411454342 |
| 14 | कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज, एवं चिट्स,971 झोखन बाग पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर, झांसी | श्री छत्रपाल वर्मा, सहायक रजिस्ट्रार | जन सूचना अधिकारी, झांसी मण्डल | 0510-2980984 | 9415083416 |

जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विवरण

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | श्री लोकेश श्रीवास्तव | डिप्टी रजिस्ट्रार (मुख्यालय) लखनऊ | प्रथम / नोडल अपीलीय अधिकारी | 0522-2635416 | 0522-2635416 |
| 2 | डॉ० अलका वर्मा | रजिस्ट्रार | द्वितीय अपीलीय अधिकारी | 0522-2635416 | -- |



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जनवरी, 2011

पौष 23, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 19/79-वि-1-11-2(क)-1-2011

लखनऊ, 13 जनवरी, 2011

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011)

[भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

श्रुति राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियों विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है:

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,

विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रयुक्त होगा, जैसा राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषा

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्यादेश में :-

(क) "पदाभिहित अधिकारी" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(ख) "पात्र व्यक्ति" का तात्पर्य अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(घ) "सेवा की अधिकार" का तात्पर्य नियत समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने के अधिकार से है;

(ङ) "सेवा" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से है;

(च) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(छ) "नियत समय सीमा" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय से है।

3-राज्य सरकार, समय-सीमा पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा, नियत समय सीमाओं की अधिसूचना

नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार

नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना

4-पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

5-(1) नियत समय सीमा, अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रारम्भ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) पदाभिहित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन अस्वीकृत करने के मामले में वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

अपील

6-(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाता है, अथवा उसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक से अथवा नियत समय सीमा के अवसान के तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के दिनांक से 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी;

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, 60 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था।

4-(क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि यह विनिर्दिष्ट करे या अपील को अस्वीकार कर सकेगा।

(ख) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

5-(क) यथास्थिति यदि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की अभिस्वीकृति नहीं देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

6-प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना;

(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

7-(1) (क) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहा हो, तो वह एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो अन्यून 500 रुपये तथा 5000 रुपये से अनधिक होगी।

(ख) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 5000 रुपये से अनधिक होगी।

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से नियत समय के भीतर अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रुपये से अन्यून तथा 5000 रुपये से अनधिक होगी।

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रदान करने का आदेश दे सकता है।

(4) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अध्यादेश के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाई की संस्तुति कर सकता है।

शास्ति

पुनरीक्षण

8-इस अध्यादेश के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय अपीलार्थी प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो यथाविहित रीति के अनुसार उस आवेदन पत्र का निस्तारण करेगा।

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण

9-इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

10-राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

14-(1) यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये उपबन्ध उसी रूप में प्रभावी होंगे मानो इस अध्यादेश में अधिनियमित किये गये हो और ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है, जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्ववर्ती किसी दिनांक से भूतलकी न हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सम्मक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

बी० एल० जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 19(2)/LXXIX-V-1-11-2(ka)-2011

Dated Lucknow, January 13, 2011

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhyadesh, 2011 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2011) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH JANHIT GUARANTEE ADHYADESH, 2011

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2011)

[Promulgated by the Governor in the Sixty-First Year of the republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for the delivery of services to the people of the State within stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhyadesh, 2011.

Short title,
extent and
commencement

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires—

Definitions

(a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the service under section 3;

(b) "eligible person" means a person who is eligible for notified services;

(c) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under section 3;

(d) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;

(e) "service" means any service notified under section 3;

(f) "second appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3;

(g) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under section 3.

3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits therefor.

Notification of
services,
designated
officers, first
appeal officers,
second appellate
authority and
stipulated time

Right to obtain service within stipulated time limit.

4. The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the eligible person.

Providing services in stipulated time limit.

5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application, Such application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, he shall record the reasons in writing and intimate the applicant.

Appeal

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided with the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit :

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the period specified in the order or may reject the appeal.

(3) A second appeal against the decision of the first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

4. (a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) The second appellate authority, may along with the order to provide services impose penalty according to the provisions of section 7.

5. (a) If the designated officer or the authorized officer as the case may be does not acknowledge the application under sub-section (1) of section 5, then the applicant may submit an application directly to the first appeal officer. this application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(b) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

6. The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) in respect of the following matters namely—

7. (1) (a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees. Penalty

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees:

Providing that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5000 rupees:

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Ordinance. Without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Ordinance, may make an application for revision to the officer nominated by notification by the State Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application in such manner as may be prescribed: Revision.

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days if he is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause.

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance or any rule made thereunder. Protection of action taken in good faith

10. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance. Powers to make rules

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may by order published in the *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Powers of remove difficulties

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two days from the commencement of this Ordinance.

(2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Ordinance and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Ordinance.

(3) Every order made under sub-section (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before both houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

B.L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh

By order,
K. K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 अक्टूबर, 2017

कार्तिक 5, 1939 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 698/91-2017

लखनऊ, 27 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प०आ०-508

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उ०प्र० जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 41 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:-

अनुसूची

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | सेवाये | पदाभिहित अधिकारी | सेवाओं के लिये नियत समय-सीमा | प्रथम अपीलीय अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा | द्वितीय अपीलीय अधिकारी | द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा |
|-------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग | 1-एलोपैथिक/ होम्योपैथिक/ कास्मेटिक और रक्त कोष के विनिर्माण हेतु नई विनिर्माण अनुज्ञप्ति और उसका नवीनीकरण | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | | अपर आयुक्त (प्रशासन) | | आयुक्त | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--|--|---------------|----------------------|---------------|--------|---------------|
| | | (क) राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (S.L.A) द्वारा विनिर्माण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति | | 30 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस |
| | | (ख) केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी (C.L.A.A) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विनिर्माण अनुज्ञप्ति | | 30 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस |
| | | 2-औषधियों एवं कासमेटिक्स के अतिरिक्त श्रेणियों एवं रक्तसंघटकों के प्रसंस्करण हेतु विनिर्माण अनुज्ञप्ति | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | | अपर आयुक्त (प्रशासन) | | आयुक्त | |
| | | (क) राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (S.L.A) द्वारा विनिर्माण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति | | 30 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस |
| | | (ख) केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी (C.L.A.A) के द्वारा विनिर्माण अनुज्ञप्ति | | 30 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-परीक्षण और विश्लेषण के लिए औषधि के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | 15 कार्य दिवस | अपर आयुक्त (प्रशासन) | 15 कार्य दिवस | आयुक्त | 15 कार्य दिवस |
| | | 4-अतिरिक्त औषधि के विनिर्माण हेतु अनुमति | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | | अपर आयुक्त (प्रशासन) | | आयुक्त | |
| | | (क) राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (S.L.A) द्वारा विनिर्माण अनुमति की स्वीकृति | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस | | 15 कार्य दिवस |
| | | (ख) केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी (C.L.A.A) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विनिर्माण अनुज्ञप्ति | | 30 कार्य दिवस | | 30 कार्य दिवस | | 30 कार्य दिवस |
| | | 5-नये जी0एम0पी0/ डब्ल्यूएच ओ0जी0 एम0पी0 प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति और उनकी वैधता की वृत्ति | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | | अपर आयुक्त (प्रशासन) | | आयुक्त | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------------|---|---|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| | | (क) राज्य अनुज्ञापि प्राधिकारी (S.L.A) द्वारा विनिर्माण अनुज्ञापि की स्वीकृति | | 07 कार्य दिवस | | 07 कार्य दिवस | | 07 कार्य दिवस |
| | | (ख) केन्द्रीय अनुज्ञापि अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी (C.L.A.A) द्वारा प्रतिहरताधारित विनिर्माण अनुज्ञापि | | 30 कार्य दिवस | | 30 कार्य दिवस | | 30 कार्य दिवस |
| | | 6-निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का निर्गमन | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | 07 कार्य दिवस | अपर आयुक्त (प्रशासन) | 07 कार्य दिवस | आयुक्त | 07 कार्य दिवस |
| | | (क) नान कनविकशन प्रमाण-पत्र | | | | | | |
| | | (ख)फ्री-सेल प्रमाण-पत्र | | | | | | |
| | | (ग) वैद्यता प्रमाण-पत्र | | | | | | |
| | | (घ) परफारमेन्स प्रमाण-पत्र | | | | | | |
| | | (ङ) न्यूट्रल कोड नं० | | | | | | |
| | | 7-थोक / फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञापितियों की स्वीकृति और उनका नवीनीकरण | औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) / सहायक आयुक्त (औषधि) | 15 कार्य दिवस | औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी | 15 कार्य दिवस | अपर आयुक्त (प्रशासन) | 15 कार्य दिवस |
| | | 8-खाद्य पदार्थों के लिए अनुज्ञापि की स्वीकृति | अभिहित अधिकारी | 30 कार्य दिवस | सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रभाग | 15 कार्य दिवस | अपर आयुक्त (प्रशासन) | 15 कार्य दिवस |
| | | 9-खाद्य पदार्थों का रजिस्ट्रीकरण | खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 15 कार्य दिवस | मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 15 कार्य दिवस | अभिहित अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| 43 | नगर विकास विभाग | 1-नगर निगम क्षेत्र में कराधेय सम्पत्ति का नामान्तरण अविरोध | क-नगर निगम नामान्तरण हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 45 कार्य दिवस | नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त / संयुक्त नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस | नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| | | | ख-नगर पालिका परिषद् / नगर कार्यपालक अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी | 45 कार्य दिवस | उप जिला मजिस्ट्रेट / कार्यपालक अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस |
| | | 2-नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र में (जहां तकनीकी रूप से सम्भव हो) नवीन जल आपूर्ति संयोजन और मल नाली संयोजन) | क-नगर निगम क्षेत्र का जल कल अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता (जल) | 30 कार्य दिवस | महाप्रबन्धक (जल कल) | 30 कार्य दिवस | नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|---|---------------|---|--|-----------------|--|
| | | | ख-नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत जल कल अभियन्ता | 30 कार्य दिवस | उप जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस |
| | | 3-नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र | क-नगर निगम-नगर आयुक्त द्वारा जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी /नगर स्वास्थ्य अधिकारी | 30 कार्य दिवस | नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त/संयुक्त नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस | नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| | | | ख-नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत-कार्यपालक अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी | 30 कार्य दिवस | उप जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस |
| | | 4-अनुज्ञप्तियों | क-नगर निगम-अनुज्ञप्ति हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | 20 कार्य दिवस | नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त/संयुक्त नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस | नगर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| | | | ख-नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत-कार्यपालक अधिकारी/प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी | 20 कार्य दिवस | उप जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस |
| 44 | वित्त विभाग (निबन्धक, फर्म, सोसायटी और चिट्से) | 1-रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | 30 कार्य दिवस | उप निबन्धक (मुख्यालय) | 30 कार्य दिवस | निबन्धक | 15 कार्य दिवस |
| | | 2-नवीनीकरण | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | 80 कार्य दिवस | उप निबन्धक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबन्धक | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-सोसायटी प्रतिलिपि | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | 01 सप्ताह | उप निबन्धक (मुख्यालय) | अत्यधिकता हेतु एक दिन, अर्द्ध अत्यधिकता हेतु तीन दिन सामान्य के लिए छः दिन | निबन्धक | अत्यधिकता हेतु एक दिन, अर्द्ध अत्यधिकता हेतु तीन दिन सामान्य के लिए छः दिन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | 4-फर्म रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | 30 कार्य दिवस | उप निबन्धक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबन्धक | 15 कार्य दिवस |
| | | 5-फर्म प्रतिलिपि | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | सामान्य हेतु सात दिन | उप निबन्धक (मुख्यालय) | सामान्य हेतु छः दिन | निबन्धक | सामान्य हेतु छः दिन |
| | | 6-घिट रजिस्ट्रीकरण एवं घिट ग्रुप रजिस्ट्रीकरण | सहायक निबन्धक/उप निबन्धक | 30 कार्य दिवस | उप निबन्धक (मुख्यालय) | 15 कार्य दिवस | निबन्धक | 15 कार्य दिवस |
| 45 | व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग | 1-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों का मूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र का वापस करना | फोरमैन/प्रवेश प्रभारी | 15 कार्य दिवस | प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | मंडलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस |
| | | 2-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत | प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस | निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-परीक्षा परिणाम आधारित अंक-पत्र सह-चरित्र प्रमाण-पत्र को जारी करना | प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |
| | | 4-उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण-पत्र को जारी करना | प्रधानाचार्य | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस | निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन | 15 कार्य दिवस |
| | | 5-अंतरण प्रमाण-पत्र को जारी करना | प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस | निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन | 15 कार्य दिवस |
| | | 6-अनुकृति अंक पत्र को जारी करना | सहायक निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | संयुक्त निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |
| | | 7-अनुकृति प्रमाण-पत्र को जारी करना | सहायक निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | संयुक्त निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |
| | | 8-पुनरीक्षित अंक-पत्र को जारी करना | सहायक निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | संयुक्त निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |
| | | 9-पुनरीक्षित प्रमाण-पत्र को जारी करना | सहायक निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | संयुक्त निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |
| | | 10-स्कूटनी परिणाम का घोषित करना | सहायक निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अधिशारी निदेशक एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष एस0सी0 वी0टी0 | 15 कार्य दिवस |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | 11-काशनमनी को वापस करना | प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक | 15 कार्य दिवस | निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन | 15 कार्य दिवस |
| 46 | औद्योगिक विकास विभाग 1-(यमुना एक्सप्रेसवे) | 1-भूमि आवंटन-पत्र | प्रबन्धक (औद्योगिक) | 21 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 07 कार्य दिवस |
| | | 2-आवंटी की मूल्योपरान्त भूखण्ड का म्यूटेशन | प्रबन्धक (औद्योगिक) | 90 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 30 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-क्रियाशील प्रमाण-पत्र को जारी करना | प्रबन्धक (औद्योगिक) | 30 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| | | 4-सम्पूर्ण प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति। | प्रबन्धक (औद्योगिक) | 30 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| | | 5-अदेयता प्रमाण-पत्र को जारी करना | प्रबन्धक (औद्योगिक) | 26 कार्य दिवस | महाप्रबन्धक (वित्त) | 15 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 कार्य दिवस |
| | | 6-मानचित्र की स्वीकृति | महाप्रबन्धक नियोजन | 15 कार्य दिवस 40,000 वर्गमी० तक | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| | | | महाप्रबन्धक नियोजन | 30 कार्य दिवस 40,000 वर्गमी० से ऊपर | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 15 कार्य दिवस |
| | | 7-समापन प्रमाण-पत्र | महाप्रबन्धक नियोजन | 90 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 20 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 कार्य दिवस |
| | | 8-पेयजल/सीवर कनेक्शन | महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक परियोजना | 15 कार्य दिवस | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 कार्य दिवस |
| | 2-(पिकप) | 1-निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अधीन औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाना | संयुक्त प्रबन्धन निदेशक पिकप | 30 कार्य दिवस | अपर प्रबन्ध निदेशक | 15 कार्य दिवस | निदेशक | 07 कार्य दिवस |
| 47 | कृषि | 1-बीज-खरीफ, रबी एवं जायद में उपलब्धता। | जिला कृषि अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 2-उर्वरक-खरीफ, रबी एवं जायद में उपलब्धता। | जिला कृषि अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-कृषि रक्षा रसायन-खरीफ, रबी एवं जायद में उपलब्धता। | कृषि रक्षा अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | 4-फसल-बीमा | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 5-डी0बी0टी0-बीज | जिला कृषि अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 6-डी0बी0टी0-उर्वरक | जिला कृषि अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 7-डी0बी0टी0-कृषि रक्षा रसायन | कृषि रक्षा अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 8-डी0बी0टी0-कृषि यन्त्र | उप प्रभागीय कृषि विस्तार अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| | | 9-डी0बी0टी0-कृषि रक्षा यन्त्र | कृषि रक्षा अधिकारी | 30 कार्य दिवस | जनपदीय उप कृषि निदेशक | 30 कार्य दिवस | मण्डलीय संयुक्त निदेशक कृषि | 15 कार्य दिवस |
| 48 | उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप (विधिक माप विज्ञान विभाग, लखनऊ) | 1- डिब्बा बन्द वस्तुओं के दिनिर्माता/पैकर/आयात के नाम व पते का रजिस्ट्रीकरण | नियंत्रक विधिक कर माप विज्ञान उ0प्र0 | 30 कार्य दिवस | विशेष सचिव उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप विभाग उ0प्र0 शासन | 15 कार्य दिवस | विशेष सचिव उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप विभाग उ0प्र0 शासन | 15 कार्य दिवस |
| | | 2-बांट-माप, तौल और मापने के उपकरणों का सत्यापन/पुनः सत्यापन | | | | | | |
| | | (क) बांट-माप, तौलने मापने के उपकरणों के कार्यालय या शिविर में समय से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने पर सत्यापन/पुनः सत्यापन | वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक कर माप विज्ञान | 05 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 07 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ0प्र0 | 15 कार्य दिवस |
| | | (ख) बांट माप तौलने और मापने के उपकरण जो अपने स्थान से हटायें नहीं जा सकते/जाने चाहिए यथा | | | | | | |
| | | 1-पेट्रोल/डीजल पम्प का सत्यापन/पुनः | वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ0प्र0 | 15 कार्य दिवस |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|------------------------|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | 2-प्लोमीटर (प्रवाह मीटर) का सत्यापन/ पुनः सत्यापन | वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ०प्र० | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-आटो रिक्शा/ टैक्सी किराया मीटर का सत्यापन/ पुनः सत्यापन | वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान | 07 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस |
| | | 4-एल०पी०जी/ सी०एन०जी/ डिस्पेंसर, पम्प कर सत्यापन/ पुनः सत्यापन | वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ०प्र० | 15 कार्य दिवस |
| | | 5-स्टोरेज टैंक का सत्यापन/ पुनः सत्यापन | वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान | 15 कार्य दिवस | नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ०प्र० | 15 कार्य दिवस |
| 49 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 1-पॉलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना। | संस्था प्रधानाचार्य | 07 कार्य दिवस | सम्बन्धित क्षेत्र के संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग | 07 कार्य दिवस | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर | 07 कार्य दिवस |
| | | 2-प्रोविजन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना | उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर | 30 कार्य दिवस | अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर | 15 कार्य दिवस | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर | 15 कार्य दिवस |
| | | 3-काशनमनी वापस किया जाना | संस्था प्रधानाचार्य | 30 कार्य दिवस | सम्बन्धित क्षेत्र के संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग | 15 कार्य दिवस | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर | 15 कार्य दिवस |
| | | 4-चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना | संस्था प्रधानाचार्य | 07 कार्य दिवस | सम्बन्धित क्षेत्र के संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग | 07 कार्य दिवस | निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० | 7 कार्य दिवस |
| | | 5-अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संदत्त पेशन/उपादान पर विनिश्चय | निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर | 30 कार्य दिवस | विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० | 15 कार्य दिवस | सचिव/ प्रमुख प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० | 15 कार्य दिवस |
| | | 6-अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान पर विनिश्चय | निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर | 30 कार्य दिवस | विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० | 15 कार्य दिवस | सचिव/ प्रमुख प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० | 15 कार्य दिवस |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | | 7-पॉलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों के लिए उपबन्धित अंक-पत्र पर विनिश्चय | संस्था प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 8-पॉलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना, जिन्होंने उत्तीर्ण परिणाम के साथ शिक्षा की हो | संस्था प्रधानाचार्य | 15 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 30 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 9-पॉलिटेक्निक छात्रों के स्कूटी के परिणाम की घोषणा | उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 30 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 10-बैंक पेपर के परिणाम की घोषणा | उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 30 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 11-छात्र-छात्राओं के अंक-पत्र की त्रुटियों की शुद्धता | उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 12-प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान करना। | उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |
| | | 13-अनुकृति अंक-पत्र प्रदान करना | उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस | अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | 15 कार्य दिवस |

आज्ञा से,
एस०एन० शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव।

(49)

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 698/XCI-2017, dated October 27, 2017:

No. 698/XCI-2017

Dated Lucknow, October 27, 2017

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendments in Government notification no. 2198/1-14-2010-33-(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification in the Schedule after entries at serial number, 41 the following entries shall with effect from the date of issuance this notification columnwise be inserted, namely:-

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the Departments | Services | Designated Officer | Stipulated time limits for Services | First Appeal Officer | Stipulated time limits for disposal of first Appeal Officer | Second appellate authority | Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Food Safety and Drug Administration Departments | 1-New Manufacturing licence for the Manufacture of Allopathic/Homoeopathic/Cosmetics and Blood Bank & their renewal (A) Grant of Manufacturing Licence by State Licensing Authority (B) Manufacturing Licences countersigned by Central Licensing Approving Authority 2-Manufacturing Licence for Additional Categories of Drugs and Cosmetics and Processing of blood components A-Grant of Manufacturing by State Licensing Authority (B) Manufacturing Licences countersigned by Central Licensing Approving Authority | Drug Licensing and Controlling Authority Drug Licensing Controlling Authority | 30 working days 30 working days | Additional Commissioner (Administration) Additional Commissioner (Administration) | 15 working days 15 working days | Commissioner Commissioner | 15 working days 15 working days |

50

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 3-Licence for Manufacture of Drugs for test and analysis | Drug Licensing and Controlling Authority | 15 working days | Additional Commissioner (Administration) | 15 working days | Commissioner | 15 working days |
| | | 4-Permission for manufacture of additional drug items A-Grant of Manufacturing Licence by State Licensing Authority B-Manufacturing Licences countersigned by Central Licensing Approving Authority | Drug Licensing and Controlling Authority | 15 working days 30 working days | Additional Commissioner (Administration) | 15 working days 30 working days | Commissioner | 15 working days 30 working days |
| | | 5-Grant of GMP/WHO-GMP Certificates and Extension of its validity A-Grant of Manufacturing License by State Licensing Authority (B) Manufacturing Licences countersigned by Central Licensing Approving Authority | Drug Licensing and Controlling Authority | 7 working days 30 working days | Additional Commissioner (Administration) | 7 working days 30 working days | Commissioner | 7 working days 30 working days |
| | | 6-Issuance of following certificates A-Non-conviction Certificates B-Free Sale Certificates C-Validity Certificates D-Performance Certificates E-Neutral Code number | Drug Licensing and Controlling Authority | 7 working days | Additional Commissioner (Administration) | 7 working days | Commissioner | 7 working days |
| | | 7-Grant of Wholesale/Retail drug sale licences and their renewal | Drug Licensing Authority (Sale)/Asstt. Commissioner. (Drug). | 15 working days | Drug Licensing and Controlling Authority | 15 working days | Additional Commissioner (Administration) | 15 working days |
| | | 8-Grant of Licence for Food products | Designated Officer | 30 working days | Asstt. Commissioner (Food), Division | 15 working days | Additional Commissioner (Administration) | 15 working days |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|---|---|--|---|--|---|--|
| | | 9-Registration of Food products | Food Safety Officer | 15 working days | chief Food Safety Officer | 15 working days | Designated Officer | 15 working days |
| 43 | Nagar Vikas | 1-Uncontested Mutation of Taxable Property in Nagar Nigam Area | (A) Nagar Nigam-Officer Authorized by Municipal Commissioner for the Mutation (B) Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat-executive Officer/Authorized Officer | 45 working days 45 working days | Additional Municipal Commissioner/ Joint Municipal Commissioner Authorized by Municipal Commissioner Sub-Divisional Magistrate | 30 working days 30 working days | Municipal Commissioner District Magistrate | 30 working days 30 working days |
| | | 2-New Connection of Water & Sewer in Urban Local body Area (Where technically feasible) | (A) Nagar Nigam-Water works Engineer of the Area/Executive Engineer (JAL) (B) Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat Water Works Engineer | 30 working days 30 working days | General Manager (water works) Sub-Divisional Magistrate | 30 working days | Municipal Commissioner District Magistrate | 30 working days 30 working days |
| | | 3-Birth/Death Certificate in Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat Area | A-Nagar Nigam-Officer Authorized by Municipal Commissioner for the Registration of Birth & Death/Municipal Health Officer (B) Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat-Executive Officer/ Health Officer | 30 working days 30 working days | Additional Municipal Commissioner/ Municipal Joint Commissioner Authorized by Municipal Commissioner Sub-Divisional Magistrate | 30 working days 30 working days | Municipal Commissioner District Magistrate | 30 working days 30 working days |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | 4-Licenses | A-Nagar Nigam Officer Authorized by Municipal Commissioner for Licensing (B) Nagar Palika Parishad/ Nagar Panchayat-Executive Officer/ Authorized Licensing Officer | 20 working days 20 working days | Additional Municipal Commissioner/ Joint Municipal Commissioner Authorized by Municipal Commissioner Sub-Divisional Magistrate | 30 working days 30 working days | Municipal Commissioner District Magistrate | 30 working days 30 working days |
| 44 | Finance Department (Registrar, firms, Societies and Chits) | 1-Registration 2-Renewal 3-Society Copy 4-Firm Registration 5-Firm Copy 6-Chit Registration & Chit Group Registration | Assistant Registrar/ Deputy Registrar Assistant Registrar/ Deputy Registrar Assistant Registrar/ Deputy Registrar Assistant Registrar/ Deputy Registrar Assistant Registrar/ Deputy Registrar | 30 working days 60 working days One week 30 working days 7 days for General 30 working days | Deputy Registrar (Head Quarter) Deputy Registrar (Head Quarter) Deputy Registrar (Head Quarter) Deputy Registrar (Head Quarter) Deputy Registrar (Head Quarter) | 15 working days 15 working days One day for Urgent three days for semi Urgent six days for General 15 working days 6 days for General 15 working days | Registrar Registrar Registrar Registrar Registrar | 15 working days 15 working days One day for Urgent three days for semi Urgent six days for General 15 working days 6 days for General 15 working days |
| 45 | Department of Vocational Education and Skill Development | 1-Return of original mark sheet/certificate of trainees undergoing training in Govt. I.T.I. 2-Sanction of medical leave of trainees undergoing training in Govt. I.T.I. | Foreman/ Admission In-charge Principal | 15 working days 15 working days | Principal Regional Joint Director | 15 working days 15 working days | Regional Joint Director Director Training & Employment | 15 working days 15 working days |

53

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--|----------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 3-Issue of Examination result based mark sheet cum character certificate | Principal | 15 working days | Regional Joint Director | 15 working days | Executive Director SCVT. | 15 working days |
| | | 4-Issue of certificate to passed out trainees | Principal | 30 working days | Regional Joint Director | 15 working days | Director Training & Employment | 15 working days |
| | | 5-Issue of transfer certificate | Principal | 15 working days | Regional Joint Director | 15 working days | Director Training & Employment | 15 working days |
| | | 6-issue of duplicate mark sheet | Asst. Director SCVT | 15 working days | Joint Director SCVT | 15 working days | Executive Director SCVT. | 15 working days |
| | | 7-issue of duplicate certificate | Asst. Director SCVT | 15 working days | Joint Director SCVT | 15 working days | Executive Director SCVT. | 15 working days |
| | | 8-Issue of revised mark sheet | Asst. Director SCVT | 15 working days | Joint Director SCVT | 15 working days | Executive Director SCVT. | 15 working days |
| | | 9-Issue of revised certificate | Asst. Director SCVT | 15 working days | Joint Director SCVT | 15 working days | Executive Director SCVT. | 15 working days |
| | | 10-Declaration of scrutiny result | Asst. Director SCVT | 15 working days | Executive Director SCVT | 15 working days | Chairman SCVT. | 15 working days |
| | | 11-Return of caution money | Principal | 15 working days | Regional Joint Director | 15 working days | Director, Training & Employment | 15 working days |
| 46 | Industrial Development departmental 1-(Yamuna Expressway) | 1-Land Allotment letters | Manager (Industries) | 21 working days | ACEO | 10 working days | CEO | 7 working days |
| | | 2-Land of mutation after death of allottee | Manager (Industries) | 90 working days | ACEO | 30 working days | CEO | 15 working days |
| | | 3-issue of Activated certificate | Manager (Industries) | 30 working days | ACEO | 15 working days | CEO | 15 working days |
| | | 4-Sanctions of surrender certificates | Manager (Industries) | 30 working days | ACEO | 15 working days | CEO | 15 working days |
| | | 5-Issue of no dues certificate | Manager (Industries) | 25 working days | G. Manager (Finance) | 15 working days | CEO | 10 working days |
| | | 6-Approval of industrial Plot | General Manager (Planning) | 15 working days upto 4000 Sqm. 30 working days 40000 sqm. above | Additional Chief Ex. Officer | 15 working days | Chief Ex. Officer | 15 working days |
| | | 7-issuance of completion, certificate | General Manager (Planning) | 90 working days | Additional Chief Ex. Officer | 20 working days | Chief Ex. Officer | 10 working days |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------|
| | | 8-Drinking water/ Sewer connection | General Manager (Project)/ Dy/ G.M./ (Project) | 15 working days | Additional Chief Ex. Officer | 10 working days | Chief Ex. Officer | 10 working days |
| | 2-Picup | 1-Providing financial benefits to industrial enterprises under investment & employments promotion policy 2017 | Jt. Managing Director | 30 working days | Add. Managing Director | 15 working days | Managing Director | 7 working days |
| 47 | Agriculture | 1-Seed- Availability in Kharif, Rabi, and Zaid | District Agriculture Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agricultural | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 2-Fertilizer- Availability in Kharif, Rabi and Zaid | District Agriculture Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agricultural | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 3-Plant Protection Chemicals- Availability in Kharif, Rabi and Zaid | Plant Protection Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture (PP) | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 4-Crop Insurance- | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint director Agriculture | 30 working days | Joint Director Agriculture (Statistics) | 15 working days |
| | | 5-D.B.T.-Seed | District Agriculture Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 6-D.B.T-Fertilizer | District Agriculture Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 7-D.B.T. Plant Protection Chemicals | Plant Protection Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 8-D.B.T. - Agriculture Implement | Sub Divisional Agriculture Extension Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| | | 9-D.B.T.-Plant Protection Implement | Plant Protection Officer | 30 working days | District Level Deputy Director Agriculture | 30 working days | Divisional Joint Director Agriculture | 15 working days |
| 48 | Weight and Measurement Department (Department of Legal Metrology U.P. Lucknow) | 1-Registration of Name and Address of Manufacturer/ Packer/ Importer of Packaged Commodities | Controller, Legal Metrology, U.P. | 30 working days | special Secretary Department of Consumer Protection and Weight and Measurement, Govt. of U.P. | 15 working days | Secretary Department of Consumer Protection and Weight and Measurement, Govt. of U.P. | 15 working days |
| | | 2-Verification/ Re- Verification of Weight-Measures and Weighing and Measuring Instruments | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | A-Verification/ Re-Verification of Weight- Measures and Weighing and Measuring instruments, produced in the office or camp timely for verification/ re-verification B-Weight- Measures and Weighing and Measuring instruments which cannot/should not be displaced from its location, as- | Senior Inspector/ Inspector Legal Metrology | 5 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 5 working days | Controller, Legal metrology | 15 working days |
| | | 1-Verification/ Re-Verification of petrol/ diesel pump | Senior Inspector/ Inspector, Legal Metrology | 15 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 15 working days | Controller, Legal metrology | 15 working days |
| | | 2-Verification/ Re-Verification of flow meters | Senior Inspector/ Inspector, Legal Metrology | 15 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 15 working days | Controller, Legal metrology | 15 working days |
| | | 3-Verification/ Re-Verification of auto rickshaw/ Taxi fare meter | Senior Inspector/ Inspector, Legal Metrology | 07 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 15 working days | Controller, Legal metrology | 15 working days |
| | | 4-Verification/ Re-Verification of LPG/CNG Dispensers | Senior Inspector/ Inspector, Legal Metrology | 15 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 15 working days | Controller, Legal metrology | 15 working days |
| | | 5-Verification/ Re-Verification of Storage Tanks | Senior Inspector/ Inspector, Legal Metrology | 15 working days | Assistant Controller, Legal Metrology | 15 working days | Assistant Controller, Legal metrology | 15 working days |
| 49 | Technical Education Department | 1-Providing Transfer Certificate for Students of Polytechnic Institution 2-Providing Migration Certificate 3-Return of Caution Money | Institute Principal Deputy Director, Technical Education U.P. Kanpur Institute Principal | 7 working days 30 working days 30 working days | Concerning Zone Joint Director, Technical Education Department Additional Director, Technical Education U.P. Kanpur Concerning Zone Joint Director, Technical Education Department | 7 working days 15 working days 15 working days | Director Technical Education U.P. Kanpur Director, Technical Education U.P. Kanpur Director, Technical Education U.P. Kanpur | 7 working days 15 working days 15 working days |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| | | 4-Providing Character Certificate | Institute Principal | 7 working days | Concerning Zone Joint Director, Technical Education Department | 7 working days | Director, Technical Education U.P. Kanpur | 7 working days |
| | | 5-Decision on Pension/ Gratuity Payment for Retired Employees of Aided Polytechnic | Director, Technical Education U.P. Kanpur | 30 working days | Special Secretary, Technical Education U.P. | 15 working days | Secretary/ Principal Secretary Technical Education U.P. | 15 working days |
| | | 6-Decision on last payment of General Provident Fund Related to retired Employees of Aided Polytechnic Institutions | Director, Technical Education U.P. Kanpur | 30 working days | Special Secretary, Technical Education U.P. | 15 working days | Secretary/ Principal Secretary Technical Education U.P. | 15 working days |
| | | 7-Decision on Providing Marksheet to Students of Polytechnic Institutions | Institute Principal | 15 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |
| | | 8-Providing Diploma Certificate to Students of Polytechnic Institutions who Complete Education with Pass Result | Institute Principal | 15 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 30 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |
| | | 9-Scrutiny Result Announcement for polytechnic Students | Deputy Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 30 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |
| | | 10-Back Paper Result Announcement | Deputy Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 30 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |
| | | 11-Correction of Marksheet errors for Student | Deputy Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |
| | | 12-Providing Provisional Diploma Certificate | Deputy Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |

57

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | | 13-Providing Duplicate Marksheet | Deputy Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Secretary, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days | Chairman, Board of Technical Education, U.P. Lucknow | 15 working days |

By order,

S. N. SHUKLA,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 558 राजपत्र (हि०)-2017-(1337)-599-प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 3 सा० लोक सेवा प्रबन्धन -2017-(1338)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।